

## छठी अनुसूची

(धारा 128 देखिए)

### भाग 1

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

- (1) उपशीर्ष सं. 2404.50 और 2404.99 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "18%" प्रविष्टि रखी जाएगी ; 5
- (2) उपशीर्ष सं. 5110.10, 5110.21, 5110.22, 5110.23, 5110.29, 5111.10, 5111.21, 5111.22, 5111.23 और 5111.29 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

### भाग 2

| शीर्ष सं०                                                                                                                                  | उपशीर्ष सं० | माल का वर्णन                                                                                                                                                             | अतिरिक्त शुल्क की दर |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| (1)                                                                                                                                        | (2)         | (3)                                                                                                                                                                      | (4)                  | 10 |
| अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में,—                                                                   |             |                                                                                                                                                                          |                      |    |
| (i) उपशीर्ष सं. 2404.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—                                         |             |                                                                                                                                                                          |                      |    |
|                                                                                                                                            |             | "- खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है ; पान मसाला, जिनमें तंबाकू है:                                                                                |                      |    |
|                                                                                                                                            | 2404.41     | — खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है                                                                                                                | 18%                  |    |
|                                                                                                                                            | 2404.49     | — पान मसाला, जिनमें तंबाकू है                                                                                                                                            | 18% ;                | 15 |
| (ii) उपशीर्ष सं. 5207.10, 5207.21, 5207.22, 5207.23 और 5207.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  |             |                                                                                                                                                                          |                      |    |
|                                                                                                                                            | "5207.10    | - डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं                                                                                                                      | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5207.20     | - अन्य फैब्रिक जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है                                                                                                                      | कुछ नहीं             |    |
|                                                                                                                                            |             | - अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं : |                      | 20 |
|                                                                                                                                            | 5207.31     | — विरंजित व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5207.32     | — रंजित व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                  | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5207.33     | — छापित व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                  | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5207.39     | — अन्य व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                   | 8% ;                 | 25 |
| (iii) उपशीर्ष सं. 5208.10, 5208.21, 5208.22, 5208.23 और 5208.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— |             |                                                                                                                                                                          |                      |    |
|                                                                                                                                            | "5208.10    | - डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं                                                                                                                      | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5208.20     | - अन्य फैब्रिक, जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है                                                                                                                     | कुछ नहीं             |    |
|                                                                                                                                            |             | - अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं : |                      | 30 |
|                                                                                                                                            | 5208.31     | — विरंजित व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5208.32     | — रंजित व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                  | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5208.33     | — छापित व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                  | 8%                   |    |
|                                                                                                                                            | 5208.39     | — अन्य व्यूतित फैब्रिक                                                                                                                                                   | 8% ।                 | 35 |